अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ

छठा राष्ट्रीय अधिवेशन

9 से 11 अक्टूबर, 2015

डॉ. हेडगेवार स्मारक समिति परिसर, रेशिम बाग, नागपुर (महाराष्ट्र)

अधिवेशन में पारित प्रस्ताव

प्रस्ताव क्र. : 1

शिक्षा एकात्ममानव निर्माण करने वाली हो

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का स्पष्ट विचार है कि शिक्षा मानव के सर्वांगीण विकास के साथ-साथ समाज एवं विश्व कल्याण का एक सशक्त माध्यम है। किन्तु ऐसा तभी संभव है जब देश की शिक्षा प्रणाली मनुष्य को स्वयं के भौतिक विकास तक संकुचित न बनाकर उसकी दृष्टि समाज, राष्ट्र एवं विश्व के कल्याण तक विकसित करने में सक्षम हो।

दुर्भाग्य से स्वतंत्रता के पश्चात से ही शिक्षा पर समग्रता से चिन्तन नहीं किया गया और यह स्थिति आज भी जारी है। शिक्षा का प्राथमिक, माध्यमिक उच्च स्तरों में बाटकर खण्ड-खण्ड नियोजन प्रबंधन करना, भारत केन्द्रित शिक्षा का न होना तथा शिक्षा का लक्ष्य जीविकोपार्जन तक ही सीमित कर देना व्यक्ति एवं समाज के वर्तमान दुरावस्था के प्रमुख कारण है।

भारत अपने ज्ञान के आधार पर विश्व गुरु कहलाया। हमारे ऋषियों ने समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जीवनोपयोगी एवं समाजोपयोगी शिक्षा देने की सर्वांगीण व्यवस्था की थी। शिक्षा का अर्थ मात्र सूचनाओं के एकत्रीकरण तक नहीं था, वरन् हर प्रकार बंधनों में मुक्ति को प्राप्त करना था इसलिए कहा गया - सा विद्या या विमुक्तये। मुक्ति का अर्थ केवल संसार से मुक्ति नहीं, वरन् शरीर मन बुद्धि आत्मा के विकास में जो भी बंधन है, उन सब से मुक्त होते हुए परम तत्व के साथ एकात्म की अनुभूति यह भारतीय शिक्षा का उद्देश्य रहा। कालान्तर में विदेश आंक्राताओं से संघर्ष काल में उनके षडयंत्रों के फलस्वरूप हम इन बातों को भूले किन्तु स्वतंत्रता के पश्चात् हम शिक्षा के मूल उद्देश्यों को स्थापित करने की ओर ठोस कदम नहीं उठा पाए और शिक्षा का केन्द्र यूरोप ही बना रहा है।

यूरोप केन्द्रित शिक्षा उपाधि एवं कुछ सीमा तक जीवीकोपार्जन की व्यवस्था तो करती है किन्तु इस शिक्षा में व्यक्ति के शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, प्राणिक एवं आध्यात्मिक विकास की संतुलित व्यवस्था गायब है। इस शिक्षा पद्धति में व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, विश्व का अस्तित्व तो है, पर उनके मध्य समन्वय के संबंध नहीं है। राजनैतिक एवं अर्थ चिंतन तो है पर नैतिक मूल्यों का आधार गायब है। पर्यावरण को बचाने की बात है, सिद्धान्त है किन्तु पंच महाभूतों से आत्मिक रिश्ता नहीं है। पंथ बहुत है, उनमें संघर्ष भी है किन्तु धर्म का स्वत: पालन नहीं है। इट्स माइ लाइफ, का भाव प्रबल है किन्तु सामूहिक जीवन का संस्कार लुप्त है।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का स्पष्ट मत है कि इस परिदृश्य में एकात्म मानव दर्शन आधारित शिक्षा ही सही मार्ग दिखा सकती है। एकात्म मानव बनाने वाली शिक्षा में मनुष्य के व्यक्तित्व के चारों पक्षों शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा की समुचित आदम्यकताओं को पूरा करने, उनकी विविध मांगों और इच्छा आकांक्षाओं को पूर्ण करने का सर्वांगीण विचार आवश्यक है। शिक्षा के व्यापक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा द्वारा जीविकोपार्जन के साथ पूर्णत्व की साधना की व्यवस्था हो जिसमें केवल काम

या अर्थ पुरुषार्थ का खंडश: चिंतन ही नहीं हो वरन् धर्माधिष्ठित काम व अर्थ की साधना होते हुए मुक्ति मोक्ष पुरुषार्थ के माध्यम से मैं और मेरा के बोध की कक्षा बढ़ाते हुए अखिल चराचर में व्याप्त परम तत्व से एकात्म की अनुभूति हो सके। यदि शिक्षा का लक्ष्य ऐसे एकात्म मानव के विकास पर केन्द्रित हो तो वर्तमान समस्याओं का समाधान स्वत: हो जाएगा। ऐसी शिक्षा पद्धति में व्यक्ति, परिवार, जाति, राष्ट्र, मानवता सब अखण्ड मण्डलाकार विकास मार्ग के चरण है और इसलिए उनके हित-संबंधों में आपस में विरोध नहीं परस्पर पूरकता है। इसलिए इस शिक्षा पद्धति व्यक्तिगत स्वार्थ, येनकेन प्रकरेण कमाया हुआ अर्थ, शोषण, भ्रष्टाचार, परपीडन, सांप्रदायिकता, अस्पृश्यता का कोई स्थान नहीं हो सकता।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का मानना है कि यदि एकात्म मानव निर्माण की शिक्षा पद्धति विकसित होती है तो न केवल व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होगा वरन् सामूहिक जीवन अधिक सुखी, सम्पन्न एवं स्वावलंबी बन सकेगा।

वर्तमान पद्धति में जब अधिकांश शिक्षा पूर्णत: गुरु के सान्निध्य में आवासीय नहीं है, संस्कार एवं अध्यापन का बहुत-सा क्षेत्र शिक्षण संस्थानों से बाहर है। यदि इन दोनों क्षेत्रों में विरोध हो तो विद्यार्थी के जीवन में एक अन्तर्द्वन्द उपस्थित हो जाता है। मनुष्य अनजाने में ही अपने चारों ओर के समाज से संस्कार ग्रहण करता है तथा उसमें समाज का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षक का काम करता है। मानस की अनुकरण, संवेदना एवं सूचनात्मक पद्धतियों के नियम के अनुसार पिछली पीढ़ी के आचार-विचारों का एवं वर्तमान परिवेश का संस्कार नई पीढ़ी पर पड़ता है। अत: समाज के प्रत्येक घटक को अंगागी भाव में कार्य करते हुए श्रेष्ठ जीवन मूल्यों से युक्त परिवेश एवं उनके नई पीढ़ी में संक्रमण का दायित्व समझना होगा।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का यह मत है कि शिक्षण संस्थायें समाज में टापू की तरह नहीं होनी चाहिए। विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, प्रबन्ध समिति, प्रशासन व समाज में एकात्म भाव की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त खंड-खंड अध्ययन की व्यवस्था के बजाय अंर्तसंकाय अध्ययन की व्यवस्था हो तथा सभी विषयों में एक मुख्य धारा का अनुभव करवाने की शिक्षा दी जाए। शिक्षा के क्षेत्र में मात्र ज्ञान ही नहीं वरन् ज्ञान, भावना व क्रिया के संगम को महत्त्व दिया जाना चाहिए ताकि शिक्षा संस्थान विद्यार्थी को एक परिपूर्ण मानव के रूप में विकसित कर सके।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ इस बात का पक्षधर है कि हमारी शिक्षा प्रणाली युगानुकुल एवं देशानुकूल होनी चाहिए। हमें प्राचीन विचारों का नवीन परिदृश्य में देखना चाहिए एवं नवीन विचारों को राष्ट्रीय दृष्टि से परखना चाहिए तथा ऐसा करते हुए हमारी सोच वैश्विक हो किन्तु क्रिया स्थानीय परिवेश के अनुकूल होनी चाहिए।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की साधारण सभा शिक्षकों, समाज एवं शासन से अपील करती है कि एक एकात्म समरस, सम्पन्न समाज के निर्माण के लिए अपनी-अपनी भूमिका निभाएँ। इस ओर बढ़ने वाला प्रत्येक सकारात्मक कदम निश्चय ही मानवता एवं सृष्टि के व्यापकहित में होगा।

❑❑❑

प्रस्ताव क्र. : 2

बाबा साहेब अम्बेड़कर के शैक्षिक विचारों को कार्यक्षेत्र में उतारें

इतिहास में भारत रत्न डॉ. भीमराव अम्बेड़कर प्रखर राष्ट्रभक्त, सुविज्ञ, विधिवेत्ता एवं सामाजिक समरसता के पुरोधा के नाते अद्वितीय स्थान रखते हैं। धर्म, दर्शन, राजनीति, कानून व अर्थनीति के गहन अध्यता बाबा साहब का शिक्षा की शक्ति में गहन विश्वास था। उनका विश्वास था कि शिक्षा ही ज्ञान का द्वार खोल सकती है एवं सामाजिक परिवर्तनों का मार्ग खोल सकती है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का मानना है कि उनके शैक्षिक विचार आज न केवल प्रासंगिक है वरन् वर्तमान समाज की महती आवश्यकता है।

डॉ. अम्बेड़कर शिक्षा में समान अवसरों के प्रबल समर्थक थे। शिक्षा के प्रसार में आर्थिक भौगोलिक या जातिगत विषमताएँ आड़े न आए इसीलिए भारत के संविधान निर्माण के समय बाबा साहब ने नीति निर्देशक तत्वों में इसे सम्मलित किया कि सरकार 14 वर्ष तक के बालकों के लिए अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षण व्यवस्था करे। राइट टू एज्युकेशन इसी की फलश्रुति है। उच्च शिक्षा के संबंध में उनका स्पष्टमत था कि विश्वविद्यालयों का कार्य केवल परीक्षाएँ आयोजित करना एवं उपाधि बाँटना ही नहीं, शिक्षा का सामाजीकरण करना भी है।

बाबा साहब महिला शिक्षा के प्रबल पक्षधर थे, उनके अनुसार किसी भी समुदाय की प्रगति का माप उस समुदाय की महिलाओं द्वारा की गई प्रगति से संबंधित है, अत: शिक्षा स्त्रियों के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी पुरुषों के लिए।

बाबा साहब की दृष्टि में शिक्षा का वृहत्तर उद्देश्य लोगों में नैतिकता एवं लोक कल्याण की भावना जागृत करना था। उन्होंने ऐसी शिक्षा नीति विकसित करने पर बल दिया जो बौद्धिक विकास के साथ चरित्र निर्माण कर विद्यार्थी को समाज अभिसरण के योग्य बना सके। उनका मानना था कि शिक्षा व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति का साधन नहीं है, इसका विनियोग समाज हित में होना चाहिए और यह जन मानस बनाने का कार्य शिक्षा संस्थानों का है। वे मूल्यों की शिक्षा में विश्वास करते थे, उनका कहना था कि शील के बिना शिक्षा का मूल्य शून्य होता है।

बाबा साहब ने जो कुछ कहा उसे स्वयं जीवन में पहले उतारा। उन्होंने विदेश में रह कर उच्च शिक्षा उपाधियाँ प्राप्त की किन्तु यह शिक्षा देश के काम आए, अत: व्यक्तिगत कॅरियर को त्याग कर समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित हो गए।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की स्पष्ट सोच है कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में जो कमियाँ दृष्टि गोचर होती है, उनका समाधान बाबा साहब के विचारों के प्रकाश में प्राप्त किया जा सकता है।

लैंगिक, आर्थिक, सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर आज भी समान अवसर प्राप्त नहीं है। किसी औद्योगिक घराने के स्कूल, कॉलेज में आज भी गरीब, कमजोर पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का प्रवेश सपना है। उच्च शिक्षित व्यक्तियों की, भष्टाचार एवं अनैतिक कामों में लिप्तता दिखाई देती है क्योंकि मूल्यों की शिक्षा आचरण में नहीं आ सकी है। शिक्षा व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति का साधन दिखाई देती है, राष्ट्र समाज से अधिक महत्त्वपूर्ण व्यक्तिगत लाभ एवं कॅरियर, यह भाव दिखाई पड़ता है। इस परिदृश्य में बाबा साहब के शैक्षिक विचारों के व्यापक प्रचार प्रसार एवं आचरण में उतारने की आवश्यकता है। तभी भारत सही मायनों में समता मूलक, समरस, विकसित राष्ट्र बन सकता है।

अ.भा.रा.शै. महासंघ की साधारण सभा सरकार से अपील करती है कि बाबा साहब के विचारों के अनुरूप शिक्षा तंत्र का विकास करने के लिए योजना बनाकर तदनुरूप संसाधन उपलब्ध कराए। साथ ही सभी समाजजनों एवं शिक्षकों से अपील करती है कि बाबा साहब के शैक्षिक विचारों को समाज में स्थापित करने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाये।

❑❑❑

प्रस्ताव क्र. : 3

शिक्षा एवं शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण किया जाए

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की साधारण सभा केन्द्र एवं राज्य सरकारों से आग्रह करती है कि उनके स्तर पर हल करने योग्य शिक्षा एवं शिक्षकों की निम्न समस्याओं पर आवश्यक सकारात्मक कार्यवाही करें –

1. शिक्षकों को समस्त गैर शैक्षिक कार्यों से मुक्त किया जाए। सरकारों द्वारा शिक्षकों को अनेक तरह के गैर शैक्षिक कार्यों यथा जनगणना, पशुगणना, आर्थिक गणना, बी.एल.ओ., भवन निर्माण आदि में लगाया जा रहा है, इससे शिक्षण गंभीर रूप से प्रभावित होता है। अत: विद्यार्थी हित में शिक्षकों को केवल शिक्षण कार्य पर ही लगाया जाए।
2. शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ठेका प्रथा को तुरन्त समाप्त करते हुए स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। शिक्षा मित्र, संविदा शिक्षक, प्रबोधक, पैरा टीचर आदि नामों से की जाने वाली नियुक्तियाँ से न केवल ऐसे अस्थायी नियुक्त शिक्षकों का शोषण होता है वरन् व्यापक शिक्षा-शिक्षार्थी हित भी पूरी तरह प्रभावित होता है। मात्र काम चलाऊ तदर्थ दृष्टिकोण से की गई इन व्यवस्थाओं से हम विकसित भारत का सपना नहीं देख सकते हैं। अत: लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना एवं भविष्य की नींव सुदृढ़ करने के लिए सभी स्तरों पर आवश्यक संख्या में स्थायी शिक्षक नियुक्त किए जाए।
3. शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए उचित शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात आवश्यक है। विभिन्न शिक्षा आयोगों या समितियों की अनुशंसाओं या आर. टी.ई. व यू.जी.सी. के प्रावधान, सभी ने प्रति शिक्षक अधिकतम शिक्षार्थियों की संख्या सीमित करने पर बल दिया है। दुर्भाग्य से अधिकांश संस्थानों, सरकारों द्वारा इसका पालन नहीं किया गया है, इससे शिक्षार्थियों एवं शिक्षक में वन टू वन संवाद। लर्निंग में कमी आई है तथा शिक्षा अपने मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रही है। इसी प्रकार कई स्थानों पर शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात की गलत व्याख्या करने से ढ़ाँचा चरमरा गया है। शिक्षक-शिक्षार्थी अनुपात के प्रावधान अधिकतम सीमा को व्यक्त करते हैं, अत: प्राथमिक शिक्षा में जितनी कक्षायें उतने न्यूनतम शिक्षक तथा माध्यमिक शिक्षा में जितने विषय उतने न्यूनतम विषयाध्यापकों की व्यवस्था ही शिक्षार्थियों के सम्पूर्ण विकास में न्याय प्रदान कर सकती है।
4. देश के भिन्न-भिन्न राज्यों में शिक्षकों के वेतनमान एवं सेवा शर्तों, कार्यभार में अनेक प्रकार की असमानतायें एवं विसंगतियाँ है। समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धान्त का पालन करते हुए सम्पूर्ण देश में शिक्षकों के लिए समान वेतनमान नीति एवं समान सेवा शर्तें लागू किया जाना अति आवश्यक है ताकि देश के समस्त शिक्षकों के लिए एक जैसी सेवा शर्तें, वेतन एवं सुविधाओं की पालना सुनिश्चित की जा सके।
5. यू.जी.सी. रेग्यूलेशन 2010 को एक कम्पोजिट योजना के रूप में स्वीकार कर तदनुरूप सेवा नियमों में परिवर्तन करने पर ही यू.जी.सी. द्वारा राज्यों को वित्तीय सहायता दी जानी थी। किन्तु कई राज्य सरकारों ने रेग्यूलेशन के प्रावधान के अनुरूप अभी तक उच्च शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों के पदनाम असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर नहीं किए है तथा महाविद्यालयों में रेग्यूलेशन के अनुरूप प्रोफेसर पदों का सृजन नहीं किया है। इसके अतिरिक्त एम. फिल/पीएच.डी. के लिए प्रोत्साहन स्वरूप देय अग्रिम वेतन वृद्धियों को भी कई राज्यों ने लागू नहीं किया है। अत: यू.जी.सी. रेग्यूलेशन 2010 के अनुरूप सभी राज्यों में उच्च शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों के पदनाम बदले जाए, प्रोफेसर पदों का सृजन किया जाए तथा शोध हेतु देय प्रोत्साहन वेतन वृद्धियों को लागू किया जाए।

6. देश के विभिन्न राज्यों में विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की सेवानिवृत्ति आयु भिन्न-भिन्न है। भिन्न भिन्न राज्यों में सेवानिवृत्ति आयु 55 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक है। जीवन प्रत्याशा में हुई वृद्धि, शिक्षा सेवा में प्रवेश की आयु में हो रही वृद्धि एवं अनुभव जनित ज्ञान वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करना न्यायोचित्त रहेगा। शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों की कमी की स्थिति से निपटने, उनके अनुभव का लाभ उठाने एवं शिक्षा के कॅरियर को अधिक आकर्षक बनाने की दृष्टि से सम्पूर्ण देश में सभी स्तरों पर शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु एक समान 65 वर्ष की जानी चाहिए।

7. एक जनवरी 2004 के पश्चात् नियुक्त शिक्षकों के लिए लागू पेंशन योजना को हटाकर पूर्व की पेंशन योजना लागू की जाए। नवीन पेंशन योजना शिक्षकों को आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में असफल रही है तथा उसने शिक्षकों के मन में भविष्य के प्रति आशंकाओं को बढ़ाया है। यह लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना के विरुद्ध है अत: 1 जनवरी 2004 से पूर्व की पेंशन योजना का लाभ सभी शिक्षकों को दिया जाना चाहिए।

8. ज्ञान के सृजन के शिक्षा के सभी स्तरों पर शोध आवश्यक है। अधिकांश विकसित राष्ट्रों के उन्नयन का आधार वहाँ पर शिक्षाविदों द्वारा हो रहे शोध ही हैं। दुर्भाग्य से अभी तक शोध हेतु आधारभूत संरचनाओं एवं योजनाओं को विद्यालय स्तर से लेकर उच्च शिक्षा स्तर तक बहुत महत्त्व नहीं दिया गया है। महासंघ की साधारण सभा आग्रह करती है कि शिक्षा, शिक्षक, शिक्षार्थी एवं राष्ट्र के व्यापकहित में प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी स्तरों पर शोध हेतु उचित व्यवस्थाऐं की जाए।

9. नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून निश्चय ही सामाजिक एवं शैक्षिक विकास की यात्रा में मील का पत्थर है किन्तु इसके कुछ प्रावधानों को व्यवहारिक एवं सुसंगत बनाना आवश्यक है। आठवीं तक किसी विद्यार्थी को अनुतीर्ण न करने, समग्र मूल्यांकन के अन्तर्गत शिक्षकों को औपचारिकताऐं पूर्ण करने में समय व्यतीत करना, अधिनियम के सफल क्रियान्वयन हेतु आधारभूत सुविधाओं का अभाव आदि शिक्षकों पर समग्र रूप में चिन्तन करने की आवश्यकता है। तभी शिक्षा के अधिकार कानून को सही मायने में सार्थकता प्राप्त होगी।

10. अनुदानित विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के वेतन भुगतान को शिक्षण संस्थानों की प्रबंध समितियों पर छोड़ने से कई विसगंतियाँ उत्पन्न हुई है। अनुदानित शिक्षकों का आर्थिक शोषण करने उन्हें आधा अधूरा वेतन देने एवं समय पर नहीं देने की शिकायतें आम है। अत: इन सभी शिक्षकों को पूर्ण एवं नियमित वेतन भुगतान करने के लिए कोषागार भुगतान की व्यवस्था की जानी चाहिए।

11. पीएच.डी. 2009 नियमों के लागू होने के पूर्व पीएच.डी. हेतु पंजीकरण कराने वाले एवं पीएच.डी. धारकों को सभी सुविधाओं के लिए पीएच.डी. नियम 2009 के समकक्ष माना जाए। ए.पी.आई. व्यवस्था तर्क संगत एवं व्यावहारिक बनाई जाये ताकि सभी शिक्षकों को प्रोन्नति का समान अवसर मिल सके।

❑❑❑